~~रिo~~ 5249/II/15. न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) सर्किट कोर्ट-

Rs-30/-

(1) सनत कुमार सिंह तनय श्री नागेश्वर सिंह चौहान,

(2) रणबहादुर सिंह तनयश्री नागेश्वर सिंह चौहान,

(3) विजय बहादुर सिंह तनय स्व0 पृथ्वीराज सिंह,

(4) दानबहादुर सिंह तनय स्व0 पृथ्वीराज सिंह,

सभी नि0 ग्रा0 हडबड़ो पत्रालय उपनी, तहसील-गोपदबनास,

जिला -सीधी (म0प्र0) ----आवेदकगण

बनाम

(1) मार्तण्ड सिंह चौहानतनयश्री तेज प्रताप सिंह,

(2) राजराम सिंह तनय श्री तेज प्रताप सिंह चौहान,

(3) राजेन्द्र बहादुर सिंह (क्र0-03, 04, 05, 06 के पिता स्व0

(4) शीलध्वज सिंह चौहान (शिवनाथ सिंह चौहान,

(5) व्यंकट बहादुर सिंह (

(6) जीवेन्द्र सिंह चौहान (

(7) जयराम सिंह तनयस्व0 श्री रघुपति सिंह चौहान,

सभी नि0 ग्रा0 हडबड़ो पत्रालय उपनी, थाना- कोतवाली,

सीधी, तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी (म0प्र0)

------ अनावेदकगण

एन. के. मिश्रा द्वारा आज दिनांक 22.12.15 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

आवेदन पत्र बावत् पुर्नविलोकन आदेश दि0 06-11-2015, निगरानी प्रक0 क्र0-~~...~~ 1344-एक/12.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकारहैं :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 5249–दो/2015 जिल– सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
0| –6–2017	आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी प्रकरण कमांक 1344–एक/2012 में पारित आदेश 06–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आवेदक को पुनर्विलोकन आवेदन के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं इस न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 आदेश 47 नियम (1) में पुनर्विलोकन के लिए निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख है :– 1. किसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना, जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नही थी, अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक द्वारा तर्क के दौरान ऐसी कोई नई बात अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो मूल निगरानी में आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किये गये हों, न ही अभिलेख में परिलक्षित कोई त्रुटि ही बतलाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों को इंगित किया है उनका निराकरण निगरानी प्रकरण कमांक 1344–एक/2012 में पारित आदेश 06–11–2015 में विस्तार से आदेश पारित कर किया जा चुका है। 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	